



सं0सं0-5/प्रशि(प्रशि0)-02/2022 - 1480

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,  
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)  
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य /संचालक  
सभी सरकारी/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,  
झारखण्ड।

राँची, दिनांक:- 21/11/2022

विषय:-

SCVT से संबंधन प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में नामांकन हेतु तिथि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में डी0जी0टी0 द्वारा नामांकन की अंतिम तिथि 30.10.2022 निर्धारित की गयी थी। SCVT से संबंधन प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की तिथि विस्तार किया जाता है।

अतः SCVT से संबंधन प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में नामांकन की तिथि विस्तारित करते हुए दिनांक 30.11.2022 तक नियमानुसार नामांकन लेना सुनिश्चित करें। साथ ही NCVT से संबंधन प्राप्त वैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ SCVT से संबंधन प्राप्त व्यवसायों में शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में नामांकन लिया जा रहा था, उन व्यवसायों में भी दिनांक 30.11.2022 तक नियमानुसार नामांकन लेना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)  
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
झारखण्ड, राँची।